

मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल डाक
परिमंडल, के पत्र क्रमांक 22/153,
दिनांक 10-1-06 द्वारा पूर्व भुगतान
योजनान्तर्गत डाक व्यय की पूर्व अदायगी
डाक द्वारा भेजे जाने के लिए अनुमत.



पंजी. क्रमांक भोपाल डिवीजन
म. प्र.-108-भोपाल-09-11.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 413]

भोपाल, बुधवार, दिनांक 11 अगस्त 2010—श्रावण 20, शक 1932

वाणिज्यिक कर विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 11 अगस्त 2010

क्र. एफ ए-3-2-2010-1-पांच (65).—मध्यप्रदेश स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम, 1976 (क्रमांक 52 सन् 1976) की धारा 10 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ. ए.-3-2-2010-1-पांच (47) दिनांक 1 अप्रैल 2010 में, निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त अधिसूचना में, सारणी में, अनुक्रमांक 3 के सामने, कालम (3) में, शब्द “सिक्के” के स्थान पर, शब्द “खाली सिक्के और खाली सिक्कों की कुण्डलियां” स्थापित किए जाएं.

2. यह संशोधन 1 अप्रैल 2010 से प्रवृत्त हुआ समझा जाएगा.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. के. यादव, अपर सचिव.

भोपाल, दिनांक 11 अगस्त 2010

क्र. एफ ए-3-2-2010-1-पांच (65).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ ए-3-2-2010-1-पांच (65), दिनांक 11 अगस्त 2010 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. के. यादव, अपर सचिव.

Bhopal, the 11th August 2010

No. F. A 3-2-2010-1-V (65).—In exercise of the powers conferred by Section 10 of the Madhya Pradesh Sthaniya Kshetra Me Mal Ke Pravesh Par Kar Adhiniyam, 1976 (No. 52 of 1976), the State Government, hereby makes the following amendment in this department's Notification No. F-A-3-2-2010-1-V (47) 1st April 2010, namely :—

AMENDMENT

In the said notification, in the table, against serial number 3, in column (3), for the word "coins", the words "coin blanks and coils of coin blanks" shall be substituted.

2. This amendment shall be deemed to have come into force from 1st April 2010.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,

R. K. YADAV, Addl. Secy.